तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7209/2006/श्रीगंगानगर गुरूबचनसिंह बनाम सरवनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2
अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 12.03.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, पदमपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर ने अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर पुलिया पर से आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 02–12–2005 की पालना करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा पर्वू में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–12–2005 से अस्वीकार कर दिया, जिसके खिलाफ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7209/2006/श्रीगंगानगर गुरूबचनसिंह बनाम सरवनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व मण्डल में निगराधीन विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम कार्यवाही बाबत् स्थगन आदेश पारित हो चुका है, इस कारण अप्रार्थी का यह कथन कि दिनांक 2-12-2005 को अप्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित हो चुका था, जिसकी पालना प्रार्थीगण द्वारा नहीं की जा रही है, सर्वथा गलत है क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा अग्रिम कार्यवाही बाबत् स्थगन आदेश पारित हो चुका है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर ली गयी है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश ताफैसला निगरानी स्थगित माना जायेगा। उनका कथन है कि अप्रार्थी पक्ष ने अवमानना के प्रार्थनापत्र में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तत किया, जो संधारण योग्य नहीं था। उनका कथन है कि मौके पर कोई पुलिया नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गयाहै, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं निगराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 2-12-2005 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7209/2006/श्रीगंगानगर गुरूबचनसिंह बनाम सरवनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि वाकै चक 5 सीसी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में चालू रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर–1 में खाला व पुलिया के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों एवं पूर्व पारित अन्तरिम स्थगन आदेश के मद्देनजर प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक प्रार्थी के कथनानुसार पूर्व पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 02–12–2005 की पालना को स्थगित किये जाने का प्रश्न है, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	